

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 26-एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024

मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले  
वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा  
राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और  
कतिपय राशियों के भुगतान और  
विनियोग का प्राधिकार  
देने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक ऐसी राशियां जो कुल मिलाकर ₹ 8591,38,87,000/- (केवल आठ हजार पांच सौ इक्कानवे करोड़ अड़तीस लाख सतासी हजार रुपये) होती हैं, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 8591,38,87,000/- का दिया जाना।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं। विनियोग।

मांग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष	राशियाँ, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		अनु जोड़
			राजस्व	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
02	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	2013-मंत्रीपरिषद्	15,00,00,000	...	15,00,00,000
		कुल	15,00,00,000	...	15,00,00,000
03	सामान्य प्रशासन/निर्वाचन	2015-निर्वाचन	52,00,00,000	...	52,00,00,000
		2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,26,01,000	...	1,26,01,000
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11,40,00,000	...	11,40,00,000
		कुल	64,66,01,000	...	64,66,01,000
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	16,25,00,000	...	16,25,00,000
		2053-जिला प्रशासन	230,00,00,000	...	230,00,00,000
		2506-भूमि सुधार	33,00,00,000	...	33,00,00,000
		कुल	279,25,00,000	...	279,25,00,000
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2014-न्याय प्रशासन	25,00,00,000	...	25,00,00,000
		2055-पुलिस	500,00,00,000	...	500,00,00,000

सूची

मुख्य शीर्ष	राशियाँ, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़	जोड़
पूँजीगत	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूँजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	15,00,00,000
	...	...	...	15,00,00,000
	...	...	...	52,00,00,000
	...	...	...	1,26,01,000
	...	...	...	11,40,00,000
	...	...	...	64,66,01,000
	...	...	...	16,25,00,000
	...	...	...	230,00,00,000
	...	...	...	33,00,00,000
	...	...	...	279,25,00,000
	...	...	...	25,00,00,000
	...	...	...	500,00,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
		2056-जेल	12,25,00,000	...	12,25,00,000
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>537,25,00,000</b>	<b>...</b>	<b>537,25,00,000</b>
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी				
		2049-ब्याज अदायगियाँ	...	1,00,000	1,00,000
		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	7,56,00,000	...	7,56,00,000
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>7,56,00,000</b>	<b>1,00,000</b>	<b>7,57,00,000</b>
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियाँ				
			...	...	...
			...	...	...
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशु पालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान /पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव				
		2401-फसल कृषि कर्म	1000,02,00,000	...	1000,02,00,000
			...	...	...
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>1000,02,00,000</b>	<b>...</b>	<b>1000,02,00,000</b>

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	12,25,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	130,00,00,000 ...		130,00,00,000	130,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>130,00,00,000 ...</b>		<b>130,00,00,000</b>	<b>667,25,00,000</b>

	...		...	1,00,000
	...		...	7,56,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,00,00,000 ...		2,00,00,000	2,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>2,00,00,000 ...</b>		<b>2,00,00,000</b>	<b>9,57,00,000</b>

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	120,00,00,000 ...		120,00,00,000	120,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>120,00,00,000 ...</b>		<b>120,00,00,000</b>	<b>120,00,00,000</b>

	...		...	1000,02,00,000
4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,000 ...		1,00,000	1,00,000
6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज	1,00,000 ...		1,00,000	1,00,000
<b>कुल</b>	<b>2,00,000 ...</b>		<b>2,00,000</b>	<b>1000,04,00,000</b>

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
11	सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले				
		2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	389,79,50,000	...	389,79,50,000
		2425-सहकारिता	5,00,000	...	5,00,000
		<b>कुल</b>	<b>389,84,50,000</b>	<b>...</b>	<b>389,84,50,000</b>
12	शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास				
		2202-सामान्य शिक्षा	266,95,16,000	...	266,95,16,000
		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	31,76,00,000	...	31,76,00,000
		2236-पोषण	161,50,00,000	...	161,50,00,000
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>460,21,16,000</b>	<b>...</b>	<b>460,21,16,000</b>
13	खेल/विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व/ संग्रहालय/ पर्यटन)				
		2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें	30,00,00,000	...	30,00,00,000
		3452-पर्यटन	35,00,000	...	35,00,000
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>30,35,00,000</b>	<b>...</b>	<b>30,35,00,000</b>
14	स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन				
		2210-चिकित्सा तथा लोक- स्वास्थ्य	482,80,00,000	...	482,80,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	389,79,50,000
	...	...	...	5,00,000
	...	...	...	389,84,50,000
	...	...	...	266,95,16,000
	...	...	...	31,76,00,000
	...	...	...	161,50,00,000
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,00,00,000 ...		3,00,00,000	3,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>3,00,00,000 ...</b>		<b>3,00,00,000</b>	<b>463,21,16,000</b>
	...	...	...	30,00,00,000
	...	...	...	35,00,000
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	241,14,00,000 ...		241,14,00,000	241,14,00,000
<b>कुल</b>	<b>241,14,00,000 ...</b>		<b>241,14,00,000</b>	<b>271,49,00,000</b>
	...	...	...	482,80,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			...	...	...
			...	...	...
		<b>कुल</b>	<b>482,80,00,000</b>	...	<b>482,80,00,000</b>
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमितां (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)				
		2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	30,00,00,000	...	30,00,00,000
		<b>कुल</b>	<b>30,00,00,000</b>	...	<b>30,00,00,000</b>
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण /अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण				
		2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	38,01,00,000	...	38,01,00,000
		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1083,63,00,000	...	1083,63,00,000
		<b>कुल</b>	<b>1121,64,00,000</b>	...	<b>1121,64,00,000</b>
17	लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन				
		2041-वाहन कर	5,75,00,000	...	5,75,00,000
		2059-लोक निर्माण-कार्य	123,20,00,000	...	123,20,00,000
		2216-आवास	24,00,00,000	...	24,00,00,000
		3054-सड़क तथा सेतु	420,00,00,000	...	420,00,00,000
		3055-सड़क परिवहन	87,70,00,000	...	87,70,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिचय	484,70,00,000 ...		484,70,00,000	484,70,00,000
6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार	120,00,00,000 ...		120,00,00,000	120,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>604,70,00,000 ...</b>		<b>604,70,00,000</b>	<b>1087,50,00,000</b>

... .. 30,00,00,000

... .. 30,00,00,000

... .. 38,01,00,000

... .. 1083,63,00,000

... .. 1121,64,00,000

... .. 5,75,00,000

... .. 123,20,00,000

... .. 24,00,00,000

... .. 420,00,00,000

... .. 87,70,00,000



7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	366,00,00,000 ...		366,00,00,000	366,00,00,000
4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	279,00,00,000 ...		279,00,00,000	279,00,00,000
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	224,00,00,000 ...		224,00,00,000	224,00,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20,00,00,000 ...		20,00,00,000	20,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>889,00,00,000 ...</b>		<b>889,00,00,000</b>	<b>1203,22,00,000</b>
	<b>2062,46,20,000 ...</b>		<b>2062,46,20,000</b>	<b>8815,38,87,000</b>

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024-25 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,  
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 18 नवम्बर, 2024.

डॉ सतीश कुमार,  
सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।